

उनवान
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या
238/2024

पीठासीन अधिकारी-आह्वाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक
24.05.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
10.06.2024

1. एजी पत्नी नारायण जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी सुन्दरपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. नन्दलाल कुमावत पुत्र मांगू जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी सुन्दरपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

- बनाम
1. नन्दराम पुत्र नाथू जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी सुन्दरपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
 2. लाला पुत्र नाथू जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी सुन्दरपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
 3. रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
 4. शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
 5. भैरूलाल पुत्र कालू जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी राजपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
 6. शंकरलाल पुत्र स्व0 माधू जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बलाई खेड़ा रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
 7. राधाकिशन पुत्र स्व0 माधू जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बलाई खेड़ा रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
 8. नाथू पुत्र स्व0 माधू जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बलाई खेड़ा रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
 9. भैरूलाल पुत्र प्यारचन्द जाति सालवी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी मुरली वैष्णव

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रायड़ा प0ह0 रामपुरिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 7 की अभिलिखित आराजियात 38/8 कुल किता

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

01 कुल रकबा 1.2645 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रायड़ा प०ह० रामपुरिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 7 की अभिलिखित आराजियात 38/8 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 1.2645 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिक्केन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आवृत्ति निवृत्ति सोमनाथ)

उपस्थित अधिकारी

भीलवाडा